2019/00340

**निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर**

प्रकरण संख्या 311/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा कार्यालय सीकर।

प्रार्थी

**बनाम**

1. मैसर्स सिद्वि विनायक इलेक्ट्रीकल्स भागीदार
   अ. विनय अपूर्वा पुत्र श्री रामनिवास अपूर्वा
   प्लाट नं॰ बी–13, योजना 4–एफ, किशोर नगर, विजय बाडी, जयपुर पथ नं॰ 7, मुरलीपुरा, जयपुर ।
2. ब.श्री राजकुमार यादव पुत्र श्री अर्जुन लाल यादव
   पता थारक्या की ढाणी, जैतपुरा, अनन्तपुरा, जिला जयपुर
3. श्रीमती सुनीता टॉक पुत्री स्व॰ श्री रामनिवास अपूर्वा
   प्लाट नं॰ बी–13, योजना 4–एफ, किशोर नगर, विजय बाडी, जयपुर पथ नं॰ 7, मुरलीपुरा, जयपुर ।

अप्रार्थी ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1. बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से ।
2. श्री मोहन लाल गुप्ता अप्रार्थी 1 व 3 की ओर से।

**आदेश** दिनांक 25-11-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 23.03.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में श्रीमती सुनीता टॉक एवं श्री विनय अपूर्वा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लाट नं॰ बी–13, योजना 4–एफ, किशोर नगर, विजय बाडी, जयपुर पथ नं॰ 7, मुरलीपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 183.33 वर्गगज को बन्धक एवं प्लाट एण्ड मशीनरी फीचर्स व फिटिंग को शामिल करते हुये समस्त चल प्लाट व मशीनरी इक्यप्मेन्ट्स तथा अन्य चल सम्पत्तियों को हाईपोथीकेटेड कर कुल 80,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 23.05.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 विजय अपूर्वा व 3 सुनीता टॉक मय अधिवक्ता श्री मोहन लाल गुप्ता के उपस्थित हुये। प्रारम्भिक आपत्ति पेश की जिसकी नकल प्रार्थी बैंक को दी गई। जिसका प्रार्थी बैंक द्वारा जबाब पेश किया गया।

3. उभयपक्ष को गौर सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी ऋणी 1 व 2 ने उपथित होकर प्रारम्भिक आपत्ति पेश की है, किन्तु धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की जांच किये जाने की अधिकारिता इस न्यायालय की नहीं है। धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने के लिए धारा 13 (2) के नाटिस की तामील होना एवं 60 दिवस की अवधि पूर्ण होना ही पर्याप्त है। इस न्यायालय द्वारा भी न्यायहित में ऋणी को इत्तला के लिए सूचना पत्र जारी कर दिया गया है। इसके बावजूद बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है।

5. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को दिनांक 23.05.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अप्रार्थी ऋणी को धारा 13 (2) का नोटिस की अभिस्वीकृति/प्राप्ति रसीद की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अत: The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्रीमती सुनीता टॉक एवं श्री विनय अपूर्वा के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लाट नं॰ बी–13, योजना 4–एफ, किशोर नगर, विजय बाडी, जयपुर पथ नं॰ 7, मुरलीपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 183.33 वर्गगज एवं हाईपोथीकेटेड प्लान्ट एण्ड मशीनरी फीचर्स व फिटिंग को शामिल करते हुये व प्लान्ट एण्ड मशीनरी इक्यूप्मेन्ट्स तथा अन्य चल सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

7. आदेश आज दिनांक 25-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

( जगरूप सिंह यादव )

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर